



सां/No. : 5-1(17)/2008-PD

दिनांक/Dated: 09.09.2020

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदेश को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Order issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. S. No.	आदेश संं/ Order No.	विषय/ Subject
1.	MHA Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 29.08.2020	Guidelines for Phased Re-opening (Unlock 4)

भवदीय/Yours faithfully

(बी. के. सिंह / B. K. Singh)

उप सचिव (नीति प्रभाग)/DS (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001


Dated 29th August, 2020

ORDER

Whereas, an Order of even number dated 29.07.2020 was issued for containment of COVID-19 in the country, for a period upto 31.08.2020;

Whereas, in exercise of the powers under section 6(2)(i) of the Disaster Management Act, 2005, National Disaster Management Authority (NDMA) has directed the undersigned to issue an order to re-open more activities in areas outside the Containment Zones and to extend the lockdown in Containment Zones upto 30.09.2020;

Now therefore, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(1) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned hereby directs that guidelines on **Unlock 4**, as annexed, will be in force upto 30.09.2020.


29/08/2020
Union Home Secretary

and, Chairman, National Executive Committee (NEC)

To:

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
(As per list attached)

Copy to:

- i. All Members of the National Executive Committee
- ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority

Guidelines for Phased Re-opening (Unlock 4)

[As per Ministry of Home Affairs (MHA) Order No. 40-3/2020-DM-I (A)
dated 29th August, 2020]

1. Activities permitted during Unlock 4 period outside the Containment Zones

In areas outside the Containment Zones, all activities will be permitted, except the following:

(i) Schools, colleges, educational and coaching institutions will continue to remain closed for students and regular class activity up to 30th September 2020. However, following will be permitted:

- a. Online/ distance learning shall continue to be permitted and shall be encouraged.
- b. States/ UTs may permit upto 50% of teaching and non-teaching staff to be called to the schools at a time for online teaching/ tele-counselling and related work, in areas outside the Containment Zones only, with effect from 21st September 2020 for which, Standard Operating Procedure (SOP) will be issued by the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW).
- c. Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools, in areas outside the Containment Zones only, on voluntary basis, for taking guidance from their teachers. This will be subject to written consent of their parents/ guardians and will be permitted with effect from 21st September 2020 for which, SOP will be issued by MoHFW.
- d. Skill or Entrepreneurship training will be permitted in National Skill Training Institutes, Industrial Training Institutes (ITIs), Short term training centres registered with National Skill Development Corporation or State Skill Development Missions or other Ministries of Government of India or State Governments.

National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), Indian Institute of Entrepreneurship (IIE) and their training providers will also be permitted.

These will be permitted with effect from 21st September 2020 for which, SOP will be issued by MoHFW.

- e. Higher Education Institutions only for research scholars (Ph.D.) and post-graduate students of technical and professional programmes requiring laboratory/ experimental works. These will be permitted by the Department of Higher Education (DHE) in consultation with MHA, based on the assessment of the situation, and keeping in view incidence of COVID-19 in the States/ UTs.


29/08/2020

(ii) Metro rail will be allowed to operate with effect from 7th September 2020 in a graded manner, by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA)/ Ministry of Railways (MOR), in consultation with MHA. In this regard, SOP will be issued by MOHUA.

(iii) Social/ academic/ sports/ entertainment/ cultural/ religious/ political functions and other congregations with a ceiling of 100 persons, will be permitted with effect from 21st September 2020, with mandatory wearing of face masks, social distancing, provision for thermal scanning and hand wash or sanitizer.

However, marriage related gatherings with number of guests not exceeding 50 and funeral/ last rites related gatherings with number of persons not exceeding 20 will continue to be allowed upto 20th September 2020, after which the ceiling of 100 persons will apply.

(iv) Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres and similar places will remain closed. However, open air theatres will be permitted to open with effect from 21st September 2020.

(v) International air travel of passengers, except as permitted by MHA.

2. National Directives for COVID-19 Management

National Directives for COVID-19 Management, as specified in Annexure I, shall continue to be followed throughout the country.

3. Lockdown limited to Containment Zones

(i) Lockdown shall remain in force in the Containment Zones till 30th September, 2020.

(ii) Containment Zones shall be demarcated by the District authorities at micro level after taking into consideration the guidelines of MoHFW with the objective of effectively breaking the chain of transmission. Strict containment measures will be enforced in these containment zones and only essential activities will be allowed. There shall be strict perimeter control to ensure that there is no movement of people in or out of these zones, except for medical emergencies and for maintaining supply of essential goods and services. In the Containment Zones, there shall be intensive contact tracing, house-to-house surveillance, and other clinical interventions, as required. Guidelines of MoHFW shall be effectively implemented for the above purpose.

(iii) These Containment Zones will be notified on the websites by the respective District Collectors and by the States/ UTs and information will be shared with MOHFW.

4. State/ UT Governments shall not impose any local lockdown (State/ District/ sub-division/City level), outside the containment zones, without prior consultation with the Central Government.


29/08/2020

5. No restriction on Inter-State and intra-State movement

There shall be no restriction on inter-State and intra-State movement of persons and goods including those for cross land-border trade under Treaties with neighbouring countries. No separate permission/ approval/ e-permit will be required for such movements.

6. Movement of persons with SOPs

Movement by passenger trains; domestic passenger air travel; movement of persons on Vande Bharat and Air Transport Bubble flights; and sign-on and sign-off of Indian seafarers will continue to be regulated as per SOPs issued.

7. Protection of vulnerable persons

Persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women, and children below the age of 10 years are advised to stay at home, except for essential and health purposes.

8. Use of *Aarogya Setu*

(i) *Aarogya Setu* enables early identification of potential risk of infection, and thus acts as a shield for individuals and the community.

(ii) With a view to ensuring safety in offices and work places, employers on best effort basis should ensure that *Aarogya Setu* is installed by all employees having compatible mobile phones.

(iii) District authorities may advise individuals to install the *Aarogya Setu application* on compatible mobile phones and regularly update their health status on the app. This will facilitate timely provision of medical attention to those individuals who are at risk.

9. Strict enforcement of the guidelines

(i) State/ UT Governments shall not dilute these guidelines issued under the Disaster Management Act, 2005, in any manner.

(ii) For the enforcement of social distancing, State/ UT Governments may, as far as possible, use the provisions of Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) of 1973.

(iii) All the District Magistrates shall strictly enforce the above measures.

10. Penal provisions

Any person violating these measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable. Extracts of these penal provisions are at **Annexure II**.


29/08/2020
Union Home Secretary

and, Chairman, National Executive Committee

National Directives for COVID-19 Management


1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.
2. **Social distancing:** Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet (2 gaz ki doori) in public places.

Shops will ensure physical distancing among customers.

3. **Spitting in public places** will be punishable with fine, as may be prescribed by the State/ UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations.

Additional directives for Work Places

4. **Work from home (WfH):** As far as possible the practice of WfH should be followed.
5. **Staggering of work/ business hours** will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.
6. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash or sanitizer will be made at all entry points and of hand wash or sanitizer at exit points and common areas.
7. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured, including between shifts.
8. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers, adequate gaps between shifts, staggering the lunch breaks of staff, etc.


29/08/2020

Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

A. Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —

- (a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or
- (b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly

unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section—

(a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by—

- (a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be; or
- (b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

B. Section 188 in the Indian Penal Code, 1860

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

सं.40-3/2020-डीएम-1(ए)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 अगस्त, 2020

आदेश

जबकि, देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि के लिए, दिनांक 29.07.2020 का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था;

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने और कंटेनमेंट जोनों में, लॉकडाउन को 30.09.2020 तक बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी करने का निदेश दिया है;

अतः अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हैं कि **अनलॉक-4** के बारे में **संलग्न दिशानिर्देश**, 30.09.2020 तक लागू रहेंगे।

हस्ता0/-

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
- ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के बारे में
दिशानिर्देश (अनलॉक 4)

[गृह मंत्रालय के दिनांक 29, अगस्त, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए)
के अनुसार]

1. कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में अनलॉक 4 के दौरान अनुमति प्रदान की गई
गतिविधियां

कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में, निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी
गतिविधियों की अनुमति होगी:

(i) छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए, स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग
संस्थान, 30 सितम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे। तथापि, निम्नलिखित की अनुमति
होगी:

क. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा को अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

ख. राज्य /संघ राज्य क्षेत्र 21 सितम्बर, 2020 से कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में
ऑनलाइन टीचिंग/टेली काउंसलिंग तथा संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में एक समय
में 50 प्रतिशत तक शैक्षणिक और गैर- शैक्षणिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति
प्रदान कर सकते हैं जिसके बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

ग. केवल कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्वेच्छा से
अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की
जा सकती है। इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति
अपेक्षित होगी तथा इसकी अनुमति 21 सितम्बर, 2020 से दी जाएगी जिसके लिए
मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी
की जाएगी।

घ. कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा
राज्य कौशल विकास मिशन अथवा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों या राज्य
सरकारों के पास पंजीकृत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थानों (आईटीआई), शॉर्टटर्म ट्रेनिंग सेंटरों में दी जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), भारतीय
उद्यमिता संस्थान (आईआईई) तथा उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति प्राप्त
होगी।

इनको 21 सितम्बर, 2020 से अनुमति प्रदान की जाएगी जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

ड. केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएच. डी.) तथा टैक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्रामों, जिनके लिए लेबोर्टरी/प्रायोगिक कार्य अपेक्षित होते हैं, से पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान। इनको अनुमति, स्थिति के आकलन के आधार पर तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के परामर्श से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

- (ii) मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति, गृह मंत्रालय के परामर्श से, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा 7 सितम्बर, 2020 से क्रमबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। इस बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
- (iii) सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यों तथा अन्य सम्मेलनों में, 100 लोगों की सीमा के साथ, 21 सितम्बर, 2020 से अनुमति दी जाएगी तथा इसके लिए फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने अथवा सैनिटाइजर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

तथापि, अधिकतम 50 अतिथियों की सीमा के साथ, विवाह समारोह तथा अधिकतम 20 लोगों की सीमा के साथ, अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार की अनुमति 20 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगी, इसके बाद इनमें 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

- (iv) सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थियेटर्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। तथापि, ओपन एयर थिएटरों को 21 सितम्बर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।
- (v) यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के सिवाय।

2. कोविड-19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

कोविड-19 की रोकथाम के बारे में **अनुलग्नक-1** में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा।

3. लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोनों तक सीमित रखना

- (i) कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेगा।
- (ii) कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण, संक्रमण की श्रृंखला को कारगर तरीके से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारियों द्वारा माइक्रो लेवल पर किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोनों में कंटेनमेंट के उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन जोनों में लोगों के आने और इन जोनों से लोगों के बाहर जाने को रोकने के लिए, सख्त घेराबंदी की जाएगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। इन कंटेनमेंट जोनों में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, हर घर की निगरानी की जाएगी, और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किए जाएंगे। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
- (iii) सम्बंधित जिलाधिकारियों द्वारा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोनों की सूचना दी जाएगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सूचना साझा की जाएगी।

4. केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कंटेनमेंट जोनों से बाहर कोई लोकल लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिवीजन/शहर स्तर पर) नहीं लगाएंगी।

5. राज्य के भीतर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं

राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत, सीमा पार व्यापार भी शामिल है। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/अनुमोदन /ई-परमिट आवश्यक नहीं होगा।

6. मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ लोगों की आवाजाही

यात्री ट्रेनों द्वारा आवागमन; घरेलू यात्री हवाई यात्रा; वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स में लोगों का आवागमन; तथा इंडियन सीफेयरर्स का साइन-ऑन और साइन-ऑफ जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार विनियमित किया जाना जारी रहेगा।

7. कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

8. आरोग्य सेतु का उपयोग

- (i) आरोग्य सेतु, संक्रमण के आशंकित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
- (ii) कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पेटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है।
- (iii) जिला प्राधिकारी लोगों को यह सलाह दें कि वे कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी

9. दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना

- i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कोई ढील नहीं देंगी।

- ii. सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती हैं।
- iii. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे।

10. दंडात्मक प्रावधान

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। इन दंडात्मक प्रावधानों के उद्धरण **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं।

हस्ताक्षर/-
केन्द्रीय गृह सचिव
एवं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

कोविड 19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

1. **फेस कवर करना:** सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
2. **सोशल डिस्टेंसिंग बनाना:** व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम-से-कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।
दुकानों में ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
3. **सार्वजनिक स्थानों पर थूकना,** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।

कार्यस्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश

4. **घर से कार्य करना (डब्ल्यूएफएच):** जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
5. **कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
6. **स्क्रीनिंग और स्वच्छता:** सभी प्रवेश स्थलों में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने या सेनिटाइजर तथा निकास स्थलों और कॉमन एरिया में हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
7. **बार-बार सेनिटाइजेशन:** समस्त कार्यस्थल, जन सुविधास्थलों और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।
8. **सोशल डिस्टेंसिंग:** कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का अपराध करने पर दंड

क. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड.- जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,

- क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या
- ख. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा;

वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसी बाधा या निर्देश का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड.- जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

53 धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड.- जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति, या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड.- जो कोई, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के सम्बन्ध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौन सहमति.- ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई लिए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

क. “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

ख. फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से अभिप्रेत उस फर्म के भागीदार से है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी.- धारा 55 और 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी अदालत, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी केस हो; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत या अधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

ख. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188

188. लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा.— जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा; यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की रिस्क कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

दृष्टांत

ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी लोक सेवक द्वारा यह निदेश देते हुए एक आदेश प्रख्यापित किया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सड़क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।
